पत्रांक–बा0 नि0 रूपां0 प्र0–1 तक0 (अना0)–28 / 2025–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता–03,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, भागलपुर।,
Email:ce3nrwdbhagalpur@gmail.com

पटना, दिनांक–

विषयः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय अन्तर्गत बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी के बाँयें तटबंध के कि०मी० 27.20 पर अवस्थित बगरस स्लूईस (7 Vents) एवं चनहा धार पर निर्मित बगरस स्लुईस (12 Vents) के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना III के तहत 3 x18.00 m उच्च स्तरीय DLR (Double lane road) RCC पुल के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय अन्तर्गत बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी के बाँयें तटबंध के कि०मी० 27.20 पर अवस्थित बगरस स्लूईस (7 Vents) एवं चनहा धार पर निर्मित बगरस स्लुईस (12 Vents) के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना III के तहत 3 x18.00 m उच्च स्तरीय DLR (Double lane road) RCC पुल के निर्माण हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती हैः–

शर्तें :–

1. प्रस्तावित पुल का Top किसी भी परिस्थिति में Embankment के Formation Level से कम नहीं होगा।
2. River side slop 2:1 एवं Country side slop में 3:1 में मिट्टी कार्य सुनिश्चित करते हुए पुल का निर्माण कार्य कराना होगा।
3. संरचना निर्माण के दौरान एवं उपरान्त जल संसाधन विभाग के वाहनों का निर्वाध रूप से आवागमन होता रहेगा।
4. तटबंध का section बूढ़ी गंडक नदी के उच्चतम जल स्तर 40.50 मी० पर आधारित IS Code के अनुरूप रूपांकित Section से कम नहीं होगा।
5. IS code 12094:2000 में तटबंध के लिए प्रावधानित विभिन्न Parameter (Top width, Free Board, side slop इत्यादि) के लिए निर्धारित मानको का पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विषयांकित पुल निर्माण कार्य में जमीन हस्तांतरण निहित नहीं है। जल संसाधन विभाग का स्वामित्व तटबंध–सह–सड़क एवं संलग्न भू–भाग पर यथावत् रहेगा।

7. निर्माण के दौरान एवं निर्माण के पश्चात् वैसे वाहन जिनके आवागमन से बूढ़ी गंडक नदी के बाँये तटबंध एवं पूर्व निर्मित स्लूईस को क्षति हो का परिचालन पूर्णरूपेण वर्जित होगा। इसके लिए सड़क के दोनों ओर बैरियर लगाया जाय ताकि भारी वाहन का प्रवेश वर्जित हो सके। दोनों ओर बैरियर लगाने का खर्च ग्रामीण कार्य विभाग को वहन करना होगा।
8. बूढ़ी गंडक नदी के बाँये बाँध एवं पूर्व निर्मित स्लूईस की किसी प्रकार की क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की होगी एवं ग्रामीण कार्य विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण / मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा।
9. पुल निर्माण के दौरान सभी अपेक्षित मानको का पूर्णतः पालन किया जाए एवं पुल निर्माण कार्य विशिष्टयों एवं मानकों के अनुरूप के साथ सभी सुरक्षात्मक उपायों के साथ कराना होगा।
10. पुल निर्माण के पश्चात् मरम्मति एवं संपोषण का कार्य पर व्यय का वहन कार्यकारी विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) द्वारा कराया जायेगा।
11. कार्य कराते समय जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए अनुदेशों/निदेशों का पूर्णतः अनुपालन करना होगा।
12. पुल के निर्माण से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।
13. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता /कार्यपालक अभियंता को स–समय देना होगा।
14. धार/ नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखना होगा।
15. प्रस्तावित पुल के निर्माण कार्य हेतु यदि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है तो तत्संबंधी कार्य एवं व्यय कार्यकारी विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) की देयता होगी।
16. प्रस्तावित संरचना का Pile Cap का Top Level चनहा नाला के Bed level से नीचे रखना होगा।
17. Pier तथा Abutment का लोकेशन इस तरह से निर्धारित हो कि जल प्रवाह अवरूद्ध न हो।
18. प्रस्तावित कार्यस्थल पर किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जबाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
19. कार्य स्थल पर Danger Post लगाया जाय, जिससे आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके।
20. पुल निर्माण के दौरान एवं निर्माण के पश्चात् धार/ नदी के जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं करना होगा ताकि जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न नही हो।
21. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुए किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।
22. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
23. तटबंध या नदी के किसी भी भाग से As Per IS Code 11532:1995 के कंडिका–2.2.6 अनुसार बाँध के किसी Toe से मिट्टी नहीं काटी जायेगी।

24. बिहार राज्य अन्तर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किये गये FLOOD PLAIN ZONING के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

25. विभागीय पत्रांक–608 दिनांक–05.08.2024 की कंडिका 7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

26. प्रस्तावित पुल के पास Vertical Clearance IRC Code–5–2015 के अनुरूप रखना होगा।

27. प्रस्तावित पुल के दोनों छोर के Abutment, Toe एवं धार / River Slope पर Protection Work IRC Code 89–2019 के प्रावधानों के अनुरूप कराना होगा।

28. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है। यदि अन्य विभागो से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता हो तो उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त की जायेगी।

29. कार्य के दौरान नदी/ तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।

30. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रताण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।

31. अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा कि "प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है"।

32. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निमित्त सैद्धान्तिक सहमति रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– 131 पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– 131 पटना, दिनांक : 29/05/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय